न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 437 / 2015 / 223 (00342 / 2015)

1. श्रीमती हरिदेवी पत्नि नन्दाराम, जाति बागरिया, निवासी कोहड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र हजारी, जाति जाट,
2. महावीर पुत्र हजारी, जाति जाट,
3. गोपाल पुत्र काना, जाति जाट,
4. लाला पुत्र काना, जाति जाट,
5. बद्री पुत्र भिंया, जाति मीणा,
   समस्त निवासी कोहड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 7.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 332 / 2006.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 5 अनुपस्थित ।.

निर्णय

दिनांकः— 09.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट / वादीया ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोहडा तहसील अजमेर में स्थित है जिसके खसरा नंबर 626, 627 / 1671, 625 / 1672 है जिसको वादिया ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है व इमरोज क्रय से ही वादिया के कब्जे काश्त व आधिपत्य में चली आ रही है । प्रतिवादीगण का आाजियात से किसी प्रकार का वास्ता सरोकार नहीं है । नाजायज रूप से वादवर्णित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 द्वारा वादिया का वाद खारिज किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय

है । वादिया ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है तब से काबिज काश्त चली आ रही है। विवादित आराजियात से रेस्पो0 का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा ही दोनों पक्षों को दिनांक 7.6.2015 को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत् आदेश प्रदान किये थे परन्तु एकतरफा में बिना किसी सूचना के पत्रावली को कैम्प कोर्ट पारा में दिनांक 7.7.2015 को नियत कर एकतरफा में वादिया की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो कानूनी रूप से अवैधानिक है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि उन्होंने न्यायालय की फर्द अहकाम पर निर्णय पारित किया है जो कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के नियमों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि उपरोक्त रिपोर्ट अधी0न्याया0 द्वारा तलब नहीं की गई थी और ना ही उपरोक्त रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता था, जब तक उक्त रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा प्रदर्श मार्क अंकित नहीं हो जाता परन्तु उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअदांज कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादिया/अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है । अधी0न्याया0 ने वादिया को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 4 नियम 1 व आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 5.6.2015 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 7.6.2015 को नियत किया था परन्तु एकतरफा में बिना प्रार्थिया को सूचित किये पत्रावली को दिनांक 7.7.2015 को कैम्प कोर्ट पारा में नियत कर प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे प्रार्थिया को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थिया को दिनांक 20.8.2015 को अपने खेत पर जाने पर हुई क्योंकि विपक्षी ने कहा कि दावा हमने खारिज करवा दिया है तब प्रार्थिया ने केकड़ी आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तत्पश्चात् प्रार्थिया गरीब बागरिया जाति की होने से अपने बच्चो के लालन–पालन हेतु दिल्ली चली गई व वहां से कुछ पैसो का इंतजाम करके दुबारा केकड़ी आकर निर्णय की प्रमाणित प्रतियां निकलवाकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 54 है जो संवत् 2032 के नक्शे में एक ही खेत है तथा इसके पड़ौस में वादिया की कोई आराजी नहीं है एव ना ही वादिया का कब्जा काश्त है । खसरा नंबर 54 के पश्चिम दिशा में सरकारी चारागाह भूमि स्थित । वादिया की भूमि कहां यह वादिया को स्वंय को पता नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी विवादित भूमि पर वादिया का कब्जा काश्त नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादिया का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 16.2.2015 के अनुसार उक्त दिनांक को प्रविवादी ने अपने गवाह से जिरह का मौका दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली जवाब बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 13.4.2015 को नियत की गई । आदेशिका दिनांक 13.4.2015 को पत्रावली जवाब बहस हेतु दिनांक 5.6.2015 को रखी गई । तत्पश्चात् नियत दिनांक 5.6.2015 को अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 5.6.2015 जो सील लगाकर अंकित की गई है, के अनुसार प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है । पक्षकारान दिनांक 7.6.2015 को लोक अदालत में उपस्थित हो । इसके पश्चात् अधी0न्याया0 की पत्रावली में दिनांक 7.6.2015 की कोई आदेशिका अंकित न होकर सीधे दिनांक 7.7.2015 को पत्रावली कोर्ट कैम्प पारा में रखी जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को कोर्ट कैम्प पारा में रखने के संबंध में पक्षकारान को नोटिस/सूचना दिये जाने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित तीन तनकियात कायम की है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वाद खारिज किया है किन्तु उक्त रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं है जो प्रदर्शित करवाया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना प्रकरण को कौर्ट कैम्प पारा में रखकर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर